

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100878

दिनांक: 27/07/2026

लोक सूचना

श्री SHEESH RAM RUHELA पुत्र श्री SHIV KUMAR RUHELA जाति JAT निवासी 100 BHAIKAV BHAWANI CHOWK WARD NO. 29 LACHHMANGARH SIKAR

श्री SULTAN SINGH CHOUDHARY पुत्र श्री MANGILAL जाति JAT निवासी JHAIEE BHAMBHORIA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भमोरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) शीशराम रुहेला पुत्र शिव कुमार रुहेला हिस्सा 1 / 2 जाति जाट मकान संख्या 100 कॉलोनी भैरव भवानी चौक वार्ड नो क्षेत्र / स्थान लक्ष्मणगढ़ शहर सीकर पिन कोड 332311 जिला SIKAR राज्य RAJASTHAN खातेदार 2.) सुल्तान सिंह चौधरी पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1 / 2 जाति जाट मकान संख्या 0 कॉलोनी झाई भम्भोरिया क्षेत्र / स्थान सांगानेर शहर जयपुर पिन कोड 303006 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	1219	0.2	0.2
2.	भमोरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) शीशराम रुहेला पुत्र शिव कुमार रुहेला हिस्सा 1 / 2 जाति	1230	0.01	0.01

		जाट मकान संख्या 100 कॉलोनी भैरव भवानी चौक वार्ड नो क्षेत्र / स्थान लक्ष्मणगढ़ शहर सीकर पिन कोड 332311 जिला SIKAR राज्य RAJASTHAN खातेदार 2.) सुल्तान सिंह चौधरी पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1 / 2 जाति जाट मकान संख्या 0 कॉलोनी झाई भम्भोरिया क्षेत्र / स्थान सांगानेर शहर जयपुर पिन कोड 303006 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार			
3.	भम्भोरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) शीशराम रुहेला पुत्र शिव कुमार रुहेला हिस्सा 1 / 2 जाति जाट मकान संख्या 100 कॉलोनी भैरव भवानी चौक वार्ड नो क्षेत्र / स्थान लक्ष्मणगढ़ शहर सीकर पिन कोड 332311 जिला SIKAR राज्य RAJASTHAN खातेदार 2.) सुल्तान सिंह चौधरी पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1 / 2 जाति जाट मकान संख्या 0 कॉलोनी झाई भम्भोरिया क्षेत्र / स्थान सांगानेर शहर जयपुर पिन कोड 303006 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	1231	0.21	0.21
कुल					0.42

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **27-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)

RAJASTHAN PATRIKA & SAMACHAR JAGAT (Morning)

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

